न्यायालय सहायक कलक्टर (प्र0श्रे0) / उपजिलाधिकारी, शिकोहाबाद ।

वाद संख्या– 39/12-13

मौजा– आसदेवमई नूरपुर

श्री विनायक कॉलेज ऑफ एजूकेशन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार

नगला अवाजी एटा रोड शिकोहाबाद

द्वारा प्रबन्धक मोहित कुमार

धारा– 143 ज0वि0अ0

नकल निर्णय दि0 13/8/13

आवेदक मोहित कुमार प्रबन्धक श्री विनायक कॉलेज आफ एजूकेशन नगला अवाजी भाग आसदेवमई नूरपुर तहसील शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांक 03.08.13 प्रस्तुत कर कहा गया है, कि आवेदक मौजा आसदेवमई नूरपुर स्थित भूमि गाटा संख्या–166 रकवा 1.254है0 का संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य, मत्स्य पालन, एवं बागवानी, कुक्कुट पालन आदि नहीं हो रहा है। उक्त भूमि पर विद्यालय संचालन हेतु वाउण्ड्री का निर्माण कार्य चल रहा है। आवेदक द्वारा अन्त मे मौजा आसदेवमई नूरपुर स्थित भूमि गाटा संख्या–166 रकवा 1.254है0 को कृषि से भिन्न प्रयोजन में आने से नियम 135 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–143 के अन्तर्गत आबादी घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रार्थना–पत्र में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर तहसीलदार, शिकोहाबाद से जांच आख्या मंगाई गई।

तहसीलदार, शिकोहाबाद द्वारा अपनी आख्या दिनांक 12.08.13 प्रस्तुत कर कहा गया है, कि आवेदक मौजा आसदेवमई नूरपुर परगना व तहसील शिकोहाबाद स्थित भूमि खाता संख्या–22 के गाटा संख्या–166 रकवा 1.254है0 लगानी 37.55रू0 में 251/310 भाग अर्थात रकवा 1.015है0 लगानी 24.50रू0 सालाना के संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार हैं। उक्त भूमि कृषि, बागवानी, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन, के प्रयोग में नहीं लाई जा रही है। आबादी उपयोग हेतु स्थल पर ईंटे पड़ी है। तहसीलदार, शिकोहाबाद द्वारा अन्त में मौजा–आसदेवमई नूरपुर स्थित भूमि खाता संख्या–22 के गाटा संख्या–166 रकवा 1.015है0 लगानी 24.50रू0 सालाना को कृषि से भिन्न प्रयोजन में आने से नियम 135 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–143 के अन्तर्गत लगानमुक्त कर आबादी घोषित किये जाने की संस्तुति की गई है।

आदेश

अतः तहसीलदार, शिकोहाबाद द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 12.08.13 के आधार पर मौजा–आसदेवमई नूरपुर परगना व तहसील शिकोहाबाद स्थित भूमि खाता संख्या–22 के गाटा संख्या–166 रकवा 1.015है0 लगानी 24.50रू0 सालाना को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–143 के अन्तर्गत कृषि कार्य से इतर, लगानमुक्त कर अकृषिक घोषित की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार/उपनिबन्धक, शिकोहाबाद को अनुपालनार्थ भेजी जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक– 13.08.13

13/8/13

(रवीन्द्र कुमार)

सहायक कलक्टर(प्र0श्रे0) / उपजिलाधिकारी,

शिकोहाबाद ।

प्रमाणित

रीडर

न्यायालय उप जिलाधिकारी

शिकोहाबाद